




14 सितंबर, 2016

संदेश

भारत का सामाजिक व सांस्कृतिक वैविध्य संपूर्ण विश्व में अनूठा है और भारत संघ की राजभाषा हिंदी, इस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने में पूर्णतः समर्थ है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय समस्त देशवासियों को एकजुट करने के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत महसूस की गई जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती हो। इसके लिए हिन्दी भाषा को उपयुक्त पाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी हिन्दी भाषा के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि हिन्दी भारत संघ की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी।

वस्त्र मंत्रालय का कार्य-क्षेत्र आम जनमानस से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में मजदूर, किसान, बुनकर, कारीगर, तकनीशियन, वैज्ञानिकों से लेकर विभिन्न स्तर के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं जिनके संप्रेषण का माध्यम आमतौर पर हिन्दी ही है। यदि हम अपना सरकारी काम-काज अपना कर्तव्य समझते हुए हिन्दी में करने का संकल्प लेंगे तो इससे न केवल हिन्दी में सरकारी काम-काज में वृद्धि होगी बल्कि हम अपनी नीतियों और योजनाओं को अधिक प्रभावशाली तरीके से जनता तक पहुंचा पाएंगे। इस प्रकार हम देश के उत्थान में आम जन की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकेंगे।

हिन्दी दिवस के इस अवसर पर मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/निगमों/बोर्डों/अनुसंधान संघों आदि में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करके सरकार की मूल भावना, सबका साथ-सबका विकास को सार्थक बनाएं।

  
(स्मृति जूबिन इरानी)